भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 335

27 नवंबर, 2024 के लिए प्रश्न

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्नों का वितरण

335.डॉ. कलानिधि वीरास्वामी:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) की वर्तमान स्थिति क्या है और तमिलनाडु में लाभार्थियों की संख्या कितनी है और प्रणाली के माध्यम से वार्षिक रूप से वितरित खाद्यान्नों की कुल मात्रा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली में चुनौतियों, विशेषकर दूरस्थ और अल्पसेवित क्षेत्रों में लाभार्थियों को समय पर और पर्याप्त खाद्य वितरण सुनिश्चित करने के संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली में खाद्यान्नों के लीकेज, भ्रष्टाचार और अन्यत्र उपयोग को कम करने के लिए क्या उपाय कार्यान्वित किए जा रहे हैं और ये उपाय अब तक कितने प्रभावी रहे हैं;

(घ) क्या सरकार ने विशेषकर ग्रामीण और आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली से पात्र परिवारों को बाहर किए जाने अथवा शामिल न किए जाने के मामलों की पहचान की है और उनका समाधान किया है; और यदि हां, तो ऐसे कितने मामलों में सुधार किया गया है;

(ड.) सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से उपलब्ध कराए जाने वाले खाद्यान्न की गुणवत्ता किस प्रकार सुनिश्चित कर रही है; और

(च) घटिया अनाज को वितरित किए जाने से रोकने के लिए कोई गुणवत्ता नियंत्रण उपाय मौजूद है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए) के तहत केंद्र और राज्य / संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के संयुक्त दायित्व के तहत

...2/-

संचालित की जाती है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के भीतर खाद्यान्नों के आबंटन, पात्र लाभार्थियों और परिवारों की पहचान, उन्हें राशन कार्ड जारी करना, पात्र लाभार्थियों को खाद्यान्नों का वितरण, उचित दर दुकानों (एफपीएस) की कार्य-प्रणाली की और निगरानी आदि हेतु प्रचालन दायित्व संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों का है। वर्तमान में, तमिलनाडु राज्य में 3.61 करोड़ एनएफएसए लाभार्थी हैं। तमिलनाडु राज्य के लिए एनएफएसए के तहत वार्षिक रूप से कुल 25.7 लाख टन खाद्यान्नों की मात्रा आबंटित की गई है।

ख) और (ग): पीडीएस सुधारों के तहत, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राशन कार्ड/लाभार्थियों के डाटाबेस को पूर्णत: डिजिटल कर दिया गया है, पारदर्शी पोर्टल और ऑनलाइन शिकायत निवारण सुविधा/टोल-फ्री नंबर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में लागू किए गए हैं। इसके अलावा, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (चंडीगढ़, पुडुचेरी तथा दादरा और नगर हवेली के शहरी क्षेत्रों, जिन्होंने डीबीटी नकद अंतरण योजना को अपनाया है, को छोड़कर) में ऑनलाइन आवंटन लागू किया गया है और 31 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में आपूर्ति श्रृंखला को कम्प्यूटरीकृत किया गया है। वर्तमान में, राष्ट्रीय स्तर पर 99.8% राशनकार्ड आधार संख्या के साथ जुड़े हुए हैं और एनएफएसए लाभार्थियों के बायोमेट्रिक/आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्नों के पारदर्शी (इलेक्ट्रॉनिक रूप से) वितरण के लिए ई-पीओएस उपकरणों की स्थापना करके लगभग सभी उचित दर दुकानों (एफपीएस) को स्वचालित की दिया गया है।

(घ): लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) नियंत्रण आदेश 2015 के अनुसार, राशन कार्ड/लाभार्थियों की सूची की समीक्षा, अपात्र/डुप्लीकेट राशन कार्डों की पहचान करना और पात्र लाभार्थियों/परिवारों को शामिल करना संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार की जिम्मेदारी है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परामर्श दिया गया है कि वे चिह्नित किए गए प्रत्येक मामले का उचित सत्यापन (फील्ड सत्यापन सहित) करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वास्तविक लाभार्थियों के राशन कार्ड हटाए/निलंबित नहीं किया गया है।

(ड.) और (च): इस विभाग ने एक गुणवत्ता नियंत्रण मैनुअल तैयार और जारी किया है ताकि खाद्यान्नों की खरीद से लेकर पात्र लाभार्थियों तक उसके वितरण के दौरान गुणवत्ता मानकों को बनाए रखा जा सके।

******